यूएनएफपीए अपने प्रयासों को भारत के चार राज्यों - बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान में केंद्रित करेगा।

इन चार राज्यों का योगदान है:

25% भारत की जनसंख्या का (332 मिलियन लोग)

40% कुल मातृ मृत्यु का

22% युवा लोगों का

25% परिवार नियोजन के लिए अपूर्ण आवश्यकता का

31% भारत के सबसे गरीब जिलों का

27% वैवाहिक हिंसा की शिकार महिलाओं का

यूएनएफपीए, संयुक्त राष्ट्र की यौन और प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी है। हमारा मिशन एक ऐसी दुनिया के निर्माण में योगदान करना है जहां प्रत्येक गर्भावस्था के लिए उचित माहौल प्रदान किया जाए, हर प्रसव सुरक्षित हो और युवाओं के अधिकार और विकल्प सुनिश्चित करते हुए उनका भरपूर विकास हो।

1974 से यूएनएफपीए भारत में काम कर रहा है। भारत देश कार्यालय विभिन्न हितधारकों जैसे सरकार (केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर), नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, शिक्षण संस्थान, चिकित्सा समुदाय, मीडिया, न्यायपालिका और सबसे महत्वपूर्ण, समुदाय के साथ व्यापक सहयोग करता है।

यूएनएफपीए राष्ट्रीय कार्यालय

55 लोदी इस्टेट
नई दिल्ली 110003
फ़ोन: 011-46532333
ईमेल: पदकपांण्विपबम/नदचिंण्वतह

यूएनएफपीए राज्य कार्यालय

मध्य प्रदेश
यूएन हाउस, दूसरा मंजिल, प्लाट नंबर 41-42
पॉलिटेक्निक कालोनी, श्यामला हिल्स
भोपाल - 462013
फोन: 0755-2661246/47
ईमेल: पदकपंण्उच/नदचिंण्वतह

राजस्थान
29, श्रीरामपुरा कालोनी,
सिविल लाइंस, जयपुर - 302006
फोन: 0141-2220028/224
ईमेल: पदकपंण्तंर/नदचिंण्वतह

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष

ओडिशा
यूएन हाउस-प्प्,
एन-4-एफ/41, आईआरसी विलेज,
भुवनेश्वर - 751015, उड़ीसा
फोन: 0674-2558797/98
ईमेल: पदकपंण्वतप/नदचिंण्वतह

बिहार
8 पाटलिपुत्र कालोनी
पटना - 800013
फोन: 612-3984600
ईमेल: पदकपंण्इत/नदचिंण्वतह

@UNFPAIndia

india.unfpa.org/en

Cover photo: ©UNFPA/India/Arvind Jodha

UNFPA भारत

दसवां राष्ट्रीय कार्यक्रम 2023-2027

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) का 10वां राष्ट्रीय कार्यक्रम एक ऐसे भारत की कल्पना करता है जहां प्रत्येक महिला और युवा व्यक्ति, जिनमें सबसे कमजोर समूहों के लोग भी शामिल हैं, पूरी तरह से लैंगिक समानता का अनुभव कर सकें एवं परिवार नियोजन और प्रजनन स्वास्थ्य एवं अपने अधिकारों को महसूस करते हुए, सतत विकास में अपनी क्षमता का पूर्ण योगदान दे सकें।

यूएनएफपीए भारत में अपने कार्यक्रम (2023-27) के माध्यम से 2030 तक तीन परिवर्तनकारी परिणामों की उपलब्धि में तेजी लाने की दिषा में कार्य करेगा:

- रोकी जा सकने वाली मातृत्व मृत्यु को समाप्त करना
- परिवार नियोजन की अपूर्ण आवष्यकता को समाप्त करना
- लिंग आधारित हिंसा और हानिकारक प्रथाओं को समाप्त करना

©UNFPA/India/Arvind Jodha

तीव्र गति से लक्ष्य प्राप्ति के कारक

यूएनएफपीए का राष्ट्रीय कार्यक्रम निम्नलिखित त्वरिक कारकों के माध्यम से परिवर्तनकारी परिणामों की प्राप्ति कर दिषा में प्रयास करेगा:

मानव अधिकार-आधारित और साक्ष्य सूचित तत्वों को बढ़ावा देते हुए गुणवत्तापूर्ण परिवार नियोजन और प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं तक सभी की पहुंच में सुधार

प्रभावशील और व्यापक पहुंच वाले महिलाओं एवं युवा के नेतृत्व वाले नागरिक सामाजिक संगठनों से साझेदारी करते हुए कार्य करना

प्रभावशाली नीतियों और कार्यक्रमों के लिए डेटा प्रणालियों को मजबूत करना और डेटा और साक्ष्यों का अधिक उपयोग करने को बढ़ावा देना

विकास कार्यक्रमों में निवेष के बारे में अध्ययन एवं अनुदान से वित्त पोषण की ओर बदलाव लाना

देष के संपन्न और गतिषील डिजिटल पारिस्थितिकीय तंत्र का लाभ उठाते हुए नवाचार को बढ़ाना और लागू करना

आईसीपीडी कार्यक्रम की रुपरेखा के अन्तर्गत, दक्षिण और त्रिपक्षीय सहयोग को और मजबूत करना

सामरिक साझेदारी

यूएनएफपीए निम्नलिखित विविध भागीदारों के साथ नई साझेदारी का विस्तार करने की दिषा में कार्य करेगा:

- जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं प्रभावषाली नीति निर्माता
- महिला एवं युवा नेतृत्व वाले नागरिक समाज संगठनों
- विकलांग व्यक्ति के साथ या उसके बारे में कार्यरत संगठनों
- गतिषील निजी क्षेत्र एवं अभिनव प्रौद्योगिकी कंपनियों

यूएनएफपीए, 2030 एजेंडा को प्राप्त करने के लिए अन्य संयुक्त राष्ट्र संगठनों के साथ अपनी सहभागिता को मजबूत करेगा।

कार्यक्रम की प्रस्तावित उपलब्धियां

यूएनएफपीए, नेषनल इंस्टीट्यूषन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (नीति आयोग) द्वारा व्यक्त की गई भारत की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में भारत सरकार के साथ मिलकर कार्य करता है। इन प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल हैं- सतत विकास लक्ष्य (SDGs) और अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या और विकास सम्मेलन (आईसीपीडी) के अधूरे लक्ष्यों को प्राप्त करना।

10वें यूएनएफपीए कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य यौन और प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकारों तक सार्वभौमिक पहुंच प्राप्त करने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय प्रयासों का समर्थन करना है।

10वें यूएनएफपीए कार्यक्रम का उद्देश्य, यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट कोआपरेशन फ्रेमवर्क (UNSDCF), 2023-2027 के अंतर्गत चार अन्तरसंबंधित लक्ष्यों की प्राप्ति करने की दिशा में प्रयास करना है।

परिणाम 1

राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक अधिकार-आधारित और उच्च गुणवत्ता वाले यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं को प्रदान करने वाली एक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करना, जिसमें अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों का ध्यान रखा जा सके।

परिणाम 2

किशोरों और युवाओं के लिए कौशल और अवसरों को बढ़ाना, विशेष रूप से उन किशोरी लड़कियों के लिए जो बहुत ज्यादा पीछे छूट गयी जनसंख्या से हैं, ताकि उनकी शारीरिक स्वतंत्रता, नेतृत्व और सहभागिता के अधिकार सुनिश्चित हों।

©UNFPA/India/Shamita Harsh

©UNFPA/India/Sanjay Bose

परिणाम 3

राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तर पर संस्थाओं और समुदायों को मजबूत करना जिससे लैंगिक आधारित विषमता एवं हानिकारिक प्रथाओं को दूर करते हुए अधिकार आधारित कानूनों, नीतियों और उन कार्यक्रमों का निर्माण किया जा सके, जिससे लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिले।

परिणाम 4

भारत को जनसांख्यिकीय लाभांश का दोहन करने, आईसीपीडी प्रोग्राम के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाने एवं सतत विकास के एजेंडा 2030 को हासिल करने हेतु सक्षम बनाने के लिए राष्ट्रीय एवं उप-राष्ट्रीय स्तर पर नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रम का निर्माण और क्रियान्वयन करने में जनसांख्यिकीय विश्लेषणों का उपयोग करने में सक्षम करना जिससे विकास (2030 एजेंडा) के लक्ष्यों को हासिल किया जा सके।

महत्वाकांक्षाएं

2027 तक...

15,000 मातृ मृत्यु को टालना
प्रति 100,000 जीवित जन्मे बच्चों पर मातृ मृत्यु अनुपात (एमएमआर) को 97 से 85 प्रतिशत तक कम कर

परिवार नियोजन के आधुनिक साधनों के 9.3 मिलियन अतिरिक्त उपयोगकर्ता
मांग को 74% से 78% तक बढ़ाना

156,000 किशोर गर्भावस्थाओं को टालना
किशोर गर्भावस्था का अनुपात 6.8% से 4.6% तक कम करना

5.8 मिलियन कम वैवाहिक हिंसा का शिकार महिलाएं
वैवाहिक हिंसा झेलने वाली महिलाओं के अनुपात को 29.3% से 25% तक कम करना

225,000 बाल विवाह को रोकना
18 वर्ष से पहले विवाहित होने वाली महिलाओं का अनुपात 23.3% से 19.8% तक कम करना

जन्म के समय गुमशुदा होने वाली लड़कियों की संख्या को 140,000 तक कम करना
जन्म के समय लिंग अनुपात को 904 से 909 तक बढ़ाना

4 सक्रिय ज्ञान का आदान-प्रदान करने वाली साझेदारियां विकसित करना
दक्षिण-दक्षिण एवं त्रिकोणीय सहयोग पहलों के माध्यम से भारत और अन्य देशों के बीच

जनसांख्यिकीय लाभांश को प्राप्त करना राष्ट्रीय स्तर पर और 4 तय राज्यों में

छः राष्ट्रीय और राज्यस्तरीय ट्रेनिंग संस्थाओं के साथ साझेदारी करना
इसका उद्देश्य जनसांख्यिकीय लाभांश सहित जनसंख्या से जुड़े विषयों पर सरकार के अधिकारियों के क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में सहयोग करना।

9वें राष्ट्रीय कार्यक्रम का मूल्यांकन

9वें राष्ट्रीय कार्यक्रम (सीपी 9), 2018-2022 के मूल्यांकन से यूएनएफपीए की महत्वपूर्ण भूमिका का पता चला। इस मूल्यांकन में स्पष्ट किया गया कि यूएनएफपीए ने महिलाओं के लिए अधिकार और विकल्पों को प्रोत्साहित करने, लिंग के आधार पर होने वाली हिंसा और कुप्रथाओं का समाधान करने और किशोरों के लिए जीवन कौशल शिक्षा को संस्थागत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। मूल्यांकन ने यह भी दर्शाया कि यूएनएफपीए ने जनसंख्या के विभिन्न पहलुओं और उम्र बढ़ने से संबंधित साक्ष्य जुटाने और नीतियों को सूचित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

मूल्यांकन से प्राप्त हुई महत्वपूर्ण सिफारिशों में, यौन और प्रजनन स्वास्थ्य व अधिकार एजेंडे पर राष्ट्रीय स्तर पर यूएनएफपीए का समर्थन देना और तय राज्यों में काम को बढ़ाना व भारत में प्रसूति विद्या (मिडवाइफरी) को मजबूत करना शामिल था।

इसके अलावा, यूएनएफपीए को युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर कार्यक्रम संचालित करने और उनके लिए यौन प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को बढ़ाने के लिए सिफारिश की गयी है।